

डजिटल अरेस्ट स्कैम

स्रोत: टाइम्स ऑफ इंडिया

चर्चा में क्यों?

गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs- MHA) ने 'डजिटल अरेस्ट' घोटालों में वृद्धि के बारे में चेतावनी जारी की है, जहाँ साइबर अपराधी बना सोचे-समझे पीड़ितों से पैसे निकालने के लिये सरकारी अधिकारियों का रूप धारण करते हैं।

- भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (Indian Cybercrime Coordination Centre- I4C), माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से इस संगठित ऑनलाइन आर्थिक अपराध का सक्रिय रूप से मुकाबला कर रहा है।

डजिटल अरेस्ट स्कैम क्या है?

- **साइबर अपराधी प्रतर्पण:** घोटालेबाज़ खुद को पुलिस, केंद्रीय अनुवेषण ब्यूरो (Central Bureau Investigation- CBI), नारकोटिक्स विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India- RBI) या प्रवर्तन नदिशालय (ED) सहित विभिन्न सरकारी एजेंसियों के कर्मियों के रूप में पेश करते हैं।
- **धमकाने की रणनीति:** पीड़ितों को **अवैध गतिविधियों में शामिल होने का आरोप** लगाते हुए कॉल प्राप्त होते हैं, जैसे कि ड्रिग्स या नकली पासपोर्ट जैसी प्रतर्पण वस्तुओं को भेजना या प्राप्त करना।
 - जालसाज़ उस "मामले" को बंद करने के लिये भी पैसे की मांग कर सकते हैं जिसमें किसी प्रयोजन को कथित तौर पर आपराधिक गतिविधियाँ दुर्घटना में फँसाया गया हो।
- **डजिटल कारावास:** कुछ पीड़ितों को 'डजिटल गरिफ्तारी' के अधीन किया जाता है, जहाँ उन्हें स्कैमर्स के साथ वीडियो कॉल पर तब तक रहने के लिये मजबूर किया जाता है जब तक कि उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती।
- **पैसों की मांग:** झूठे कानूनी मामलों को बेनकाब नहीं करने के लिये **सहमत होने के बदले अपराधी पैसे वसूल रहे हैं।**

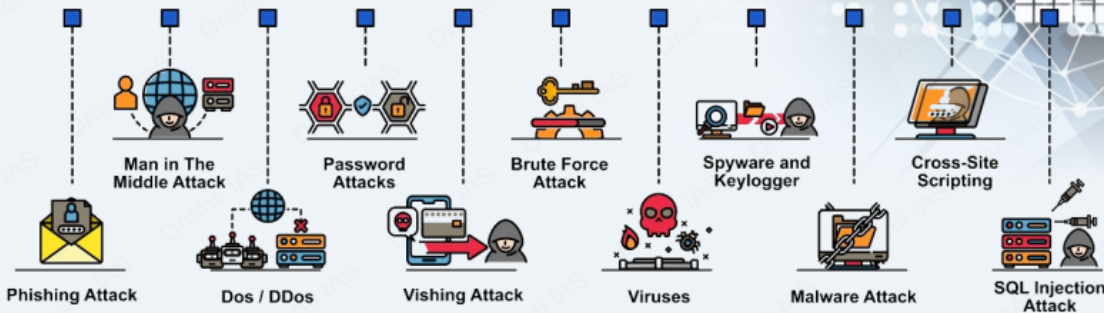
इन घोटालों से निपटने के लिये क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

- **धोखाधड़ी वाले खातों को ब्लॉक करना:** I4C ने सरकारी कर्मियों के रूप में प्रस्तुत किये जाने वाले साइबर अपराधियों द्वारा नागरिकों को डराने-धमकाने, ब्लैकमेल करने, ज़बरन वसूली और "डजिटल गरिफ्तारी" से जुड़े 1,000 से अधिक स्काइप खातों को ब्लॉक कर दिया है।
 - I4C इन धोखेबाज़ों द्वारा उपयोग किये गए समिकार्ड, मोबाइल डेविड्स और मूल खातों को ब्लॉक करने की सुविधा भी दे रहा है।
- **क्रॉस-बॉर्डर अपराध सडिकिट:** गृह मंत्रालय ने पहचान की है कि ये घोटाले सीमा पार (क्रॉस-बॉर्डर) अपराध सडिकिट द्वारा संचालित होते हैं, जो उन्हें एक बड़े, संगठित ऑनलाइन आर्थिक अपराध नेटवर्क का हिस्सा बनाते हैं।
- **सतर्कता और जागरूकता:** I4C ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म "साइबर दोस्त" और अन्य प्लेटफॉर्मों पर इस तरह की धोखाधड़ी के संबंध में सतर्कता को बढ़ाया है।
 - यदि किसी को ऐसी कॉल आती है, तो उन्हें सहायता के लिये तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर या वेबसाइट "नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल" पर घटना की रिपोर्ट करनी चाहिये।

साइबर सुरक्षा

साइबर सुरक्षा, साइबर हमलों को रोकने या उनके प्रभाव को कम करने के लिये किसी भी तकनीक, उपाय या अभ्यास को संदर्भित करती है।

CYBER SECURITY ATTACKS



NCRB की "भारत में अपराध" रिपोर्ट, 2022 के अनुसार, वर्ष 2021 के बाद से भारत में साइबर अपराध 24.4% बढ़ गए हैं।

सामान्य साइबर सुरक्षा मिथक

- केवल मज़बूत पासवर्ड ही पर्याप्त सुरक्षा है
- प्रमुख साइबर सुरक्षा जोखिम सर्वविदित हैं
- सभी साइबर हमले वेक्टर (vector) निहित होते हैं
- साइबर अपराधी छोटे व्यवसायों पर हमला नहीं करते हैं

साइबर वॉर

- किसी दूसरे के कंप्यूटर सिस्टम को बाधित करने, क्षति पहुँचाने या नष्ट करने के लिये किये गए डिजिटल हमले।

CYBER THREAT ACTORS

CYBER THREAT ACTOR

NATION-STATES		GEOPOLITICAL
CYBERCRIMINALS		PROFIT
HACKTIVISTS		IDEOLOGICAL
TERRORIST GROUPS		IDEOLOGICAL VIOLENCE
THRILL-SEEKERS		SATISFACTION
INSIDER THREATS		DISCONTENT

MOTIVATION

साइबर सुरक्षा के प्रकार

- महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचा सुरक्षा (रोबस्ट एक्सेस कंट्रोल)
- नेटवर्क सुरक्षा (डिफेंस फायरवॉल)
- एप्लिकेशन सुरक्षा (कोड रिव्यू)
- क्लाउड सुरक्षा (टोकनाइजेशन)
- सूचना सुरक्षा (डेटा मार्किंग)

हाल ही में हुए प्रमुख साइबर हमले

- वात्नाकाई रैनसमवेयर अटैक (वर्ष 2017)
- कैम्ब्रिज एनालिटिक्स डेटा ब्रीच (वर्ष 2018)
- 9M+ कार्डधारकों का वित्तीय डेटा लीक, जिसमें SBI भी शामिल है (वर्ष 2022)

विनियम एवं पहलें

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर:

- साइबर स्पेस में राज्यों के उत्तरदायी व्यवहार को बढ़ावा देने से संबंधित संयुक्त राष्ट्र के सरकारी विशेषज्ञों के समूह (GGEI)
- नाटो का कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CCDCOE)
- साइबर अपराध पर बुडापेस्ट कन्वेंशन, 2001 (भारत हस्ताक्षरकर्ता नहीं है)

भारतीय स्तर पर:

- IT अधिनियम, 2000 (धारा 43, 66, 66B, 66C, 66D)
- राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति, 2013
- नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी, 2020
- साइबर सुरक्षित भारत पहल
- भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C)
- कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम - भारत (CERT-In)

साइबर सुरक्षा के लिये उठाए जाने वाले आवश्यक कदम

- नेटवर्क सुरक्षा
- मैलवेयर सुरक्षा
- इंसिडेंट मैनेजमेंट
- उपयोगकर्ता को शिक्षित और जागरूक करना
- सुरक्षित विन्यास
- उपयोगकर्ता के विशेषाधिकारों का प्रबंधन करना
- सूचना जोखिम प्रबंधन व्यवस्था

भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C):

- इसकी स्थापना गृह मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में साइबर अपराध से समन्वय और व्यापक तरीके से निपटने के लिये कानून प्रवर्तन एजेंसियों (LEA) के लिये एक रूपरेखा और पारस्मिकता तंत्र प्रदान करने के लिये की गई थी।
 - I4C को देश में साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिये नोडल बॉडी के रूप में कार्य करने की परिकल्पना की गई है।
- यह तीव्रता से विकसित हो रही प्रौद्योगिकियों एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बनाए रखने के लिये साइबर कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव करता है।
- गृह मंत्रालय में संबंधित प्राधिकारी के परामर्श से साइबर अपराधों के लिये अन्य देशों के साथ [पारस्परिक कानूनी सहायता संधियों \(MLAT\)](#) के कार्यान्वयन का समन्वय करना।
 - MLAT दो या दो से अधिक देशों के बीच एक द्विपक्षीय समझौता है जो आपराधिक अथवा सार्वजनिक कानूनों को लागू करने के लिये सूचना और साक्ष्य के आदान-प्रदान की अनुमति देता है।

VERTICALS OF I4C



और पढ़ें: [भारत की साइबर सुरक्षा चुनौती: खतरे और रणनीतियाँ](#)

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

????????

प्रश्न. भारत में किसी व्यक्ति के साइबर बीमा कराने पर नधिकी हानिकी भरपाई एवं अन्य लाभों के अतिरिक्त नमिनलखिति में से कौन-कौन से लाभ दिये जाते हैं? (2020)

1. यदि कोई किसी मेलवेयर कंप्यूटर तक उसकी पहुँच को बाधित कर देता है तो कंप्यूटर प्रणाली को पुनः प्रचालित करने में लगने वाली लागत
2. यदि यह प्रमाणित हो जाता है कि किसी शरारती तत्त्व द्वारा जान-बूझकर कंप्यूटर को नुकसान पहुँचाया गया है तो एक नए कंप्यूटर की लागत
3. यदि साइबर बलात्-ग्रहण होता है तो इस हानि को न्यूनतम करने के लिये विशेष परामर्शदाता की की सेवाएँ पर लगने वाली लागत
4. यदि कोई तीसरा पक्ष मुकदमा दायर करता है तो न्यायालय में बचाव करने में लगने वाली लागत

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1, 2 और 4
- (b) केवल 1, 3 और 4
- (c) केवल 2 और 3
- (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (b)

प्रश्न. भारत में नमिनलखिति में से किसके लिये साइबर सुरक्षा घटनाओं पर रिपोर्ट करना कानूनी रूप से अनिवार्य है? (2017)

1. सेवा प्रदाताओं
2. डेटा केंद्र
3. कॉर्पोरेट नक़ाय

नीचे दयि गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनयि:

- (a) केवल 1
- (b) केवल 1 और 2
- (c) केवल 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/digital-arrest-scams>

